

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 02/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 84(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 05/2019-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 488(अ), तारीख 6 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

- (i) क्रम सं. 1 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “11 रु. प्रति लीटर” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (ii) क्रम सं. 2 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, “8 रु. प्रति लीटर” प्रविष्टि रखी जाएगी ।

2. यह अधिसूचना तारीख 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी ।

3. इस अधिसूचना की कोई बात उस माल पर लागू नहीं होगी, जिसका विनिर्माण 1 फरवरी, 2021 को या उसके पहले किया गया हो और उसकी निकासी 2 फरवरी, 2021 को या उसके पश्चात् की गई हो ।

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 05/2019-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019 को सा.का.नि. 488(अ), तारीख 6 जुलाई, 2019 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और उसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 05/2020-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, संख्या सा.का.नि. 278(अ), तारीख 5 मई, 2020 द्वारा संशोधन किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 02/2021-Central Excise

G.S.R. 84(E).—In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 147 of Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 05/2019-Central Excise, dated the 6th July, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 488(E), dated the 6th July, 2019, namely:-

In the said notification, in the Table, -

- i. against Sl. No. 1, in column (4), for the entry, the entry “Rs. 11 per litre” shall be substituted;
- ii. against Sl. No. 2, in column (4), for the entry, the entry “Rs. 8 per litre” shall be substituted;
2. This notification shall come into force on the 2nd February, 2021.
3. Nothing contained in this notification shall apply to the goods manufactured on or before the 1st February, 2021 and cleared on or after the 2nd February, 2021.

[F.No.334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification No. 05/2019-Central Excise, dated the 6th July, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number 488(E), dated the 6th July, 2019 and last amended *vide* notification No. 5/2020-Central Excise, dated the 5th May, 2020, *vide* number G.S.R. 278(E), dated the 5th May, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 03/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 85(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उत्पाद शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 5क के साथ पठित वित्त विधेयक, 2021 के खंड 116 जो कर का अनंतिम संग्रह अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर, विधि का बल रखता है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट विवरण के उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अध्याय, शीर्ष या उपशीर्ष अथवा टैरिफ मद के अधीन आने वाले उत्पाद शुल्क योग्य माल को, वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के पूर्वोक्त खंड 116 के अधीन उद्धृते उतने अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर) से, जितना उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगठित रकम से अधिक है, छूट प्रदान करती है:--

सारणी

क्रम सं.	अध्याय, शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2710	5 प्रतिशत सम्मिश्र एथनॉल पेट्रोल जो ऐसा सम्मिश्र है,- (i) जो 95 प्रतिशत की मात्रा वाली मोटर स्प्रीट (सामान्यतया पेट्रोल के रूप में ज्ञात) जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क का संदाय किया गया है और 5 प्रतिशत मात्रा वाला एथनॉल जिस पर, यथास्थिति, समुचित केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर, का संदाय किया गया है, के परिणाम से मिलकर बनेगा ; और (ii) भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देशन 2796 के अनुरूप ।	शून्य
2.	2710	10 प्रतिशत सम्मिश्र एथनॉल पेट्रोल जो ऐसा सम्मिश्र है,- (i) जो 90 प्रतिशत की मात्रा वाली मोटर स्प्रीट (सामान्यतया पेट्रोल के रूप में ज्ञात) जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क का संदाय किया गया है और 5 प्रतिशत मात्रा वाला एथनॉल जिस पर, यथास्थिति, समुचित केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर, का संदाय किया गया है, के परिणाम से मिलकर बनेगा ; और (ii) भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देशन 2796 के अनुरूप ।	शून्य
3.	2710 12 42	20 प्रतिशत सम्मिश्र एथनॉल पेट्रोल जो ऐसा सम्मिश्र है,- (i) जो 80 प्रतिशत की मात्रा वाली मोटर स्प्रीट (सामान्यतया पेट्रोल के रूप में ज्ञात) जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क का संदाय किया गया है और	शून्य